8

ISSN: 2394 5303 | Impact Factor 5.011(IIJIF) | Printing Area® International Research journal | April 2018 Issue-44, Vol-03 | 01

आंतरराष्ट्रीय बहुभाषिक शोध पत्रिका

प्रिंटिंग एरिया

Printing Area International Interdisciplinary Research Journal in Marathi, Hindi & English Languages

April 2018, Issue-44, Vol-03

Date of Publication 30 April 2018

Editor
Dr. Bapu g. Gholap
(M.A.Mar.& Pol.Sci.,B.Ed.Ph.D.NET.)

Co-Editor
Dr. Ravindranath Kewat
(M.A. Ph.D.)

"Printed by: **Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.** Published by **Ghodke Archana Rajendra** & Printed & published at Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.,At.Post. Limbaganesh Dist,Beed -431122 (Maharashtra) and Editor **Dr. Gholap Bapu Ganpat.**

Reg.No.U74120 MH2013 PTC 251205

Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.
At.Post.Limbaganesh,Tq.Dist.Beed
Pin-431126 (Maharashtra) Cell:07588057695,09850203295
harshwardhanpubli@gmail.com, vidyawarta@gmail.com
All Types Educational & Reference Book Publisher & Distributors / www.vidyawarta.com

Seth R.C.S. Arts & Comm. College DURG Chhattisgarh

Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm. College
DURG (C.G.)

ISSN: 2394 5303 | Impact Factor 5.011(IIJIF) | Printing Area International Research Journal | April 2018 Issue-44, Vol-03 | 06

27) भारत रत्न बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर : एक अवलोकन
प्रो सपना गहलोत, अनुज कुमार सिंह || 116

28) योगदर्शन में कर्मवाद का स्वरूप
डा संजय कुमार मंडल || 121

29) छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायकों की भूमिका एक अध्ययन .....
डॉ. सुभाष चन्द्राकर, नवीन मारकण्डेय || 124

30) जल संरक्षण में जन भागीदारी की भूमिका
डॉ कृष्ण कुमार गुप्ता || 128

31) स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी उपन्यासों में आदिवासी चेतना .....
एस. भोजराम || 132

32) भक्ति आंदोलन एवं सूफीवाद : सामाजिक समरसता के आधार स्तम्भ
रविकान्त प्रसाद || 134

33) मौर्यशासन केपर्यावरण संरक्षण एंव कल्याणकारी स्वरूप
डा पंकज कुमार || 140

34) सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ के कियान्वयन में .....
डॉ. डी. एन सूर्यवंशी, डॉ. आयषा अहमद, डॉ. भूपेन्द्र कुमार || 146

35) महिला सशक्तिकरण रूदिशा एवं दशा
डॉ. शैलेन्द्र कुमार शर्मा || 149

36) भारतीय व्यापार एवं संस्कृति का विदेशी प्रदेशो पर प्रभाव
डॉ. विकास कुमार || 155

37) ग्वालियर जिले के अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के .....
लक्ष्मीकांत गोस्वामी, प्रो. विवेक बापट || 161

38) भ्माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के शिक्षकीय मनोबल एवं .....
डॉ. निलेश कुमार पटेल, डॉ. सुशील कुमार त्यागी || 165

39) Indian Dalit Literature and African-American Literature of America: A...
PROP : Prakash Kanti Nayek, Bankura ||174

http://www.vidyawartajournal | https://sites.google.com/site/vidyawartajournal

Seth R.C.S. Arts & Comm. College DURG Chhattisgarh

Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm. College
DURG (C.G.)

ISSN: 2394 5303 | Impact Factor 5.011(IIJIF) | Printing Area International Research journal | April 2018 Issue-44, Vol-03 | 0146

34

सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ के क्रियान्वयन में समस्याएँ चुनौतियाँ एवं निराकरण

डॉ डी एन सूर्यवंशी,
प्राचार्य

डॉ. आयषा अहमद,
सहा. प्रा

डॉ भूपेन्द्र कुमार,
शोधार्थी, एस. आर. सी. एस. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग छ.ग.

****

भूमिका—

सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ आज तक बने हमारे कानूनों में सर्वाधिक सत्य, शिव व सुन्दर है। वर्तमान युग में जहाँ लोकतंत्र अपनी विकसित अवस्था में पहुँच चुका है, वही इसे और अधिक प्रभावशील बनाने के लिये शासन पद्धति में और अधिक खुलापन लाने की प्रभावशाली प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। बदलते आर्थिक—सामाजिक परिवेश में, जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता पूर्ण रूप से जवाबदेह और अनुकूल बनाने की आवश्यकता है, आम जनता से गोपनीयता बरतने के प्रयासों से सरकारी पदाधिकारियों द्वारा अधिकारों के प्रयोग की संभावना बढ़ जाती है। वास्तविकता में पूरी तरह से खुलापन बरता जाना न तो व्यवहारिक है और न वांछनीय। तद्नुसार सरकारी कार्य पद्धति में खुलेपन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण विकसित करना अनिवार्य है। सरकार द्वारा सुविचारित रूप से, जनता से जानकारी को छुपाया जाता है, परन्तु इसकी मात्रा, प्रकृति और कारण अलग—अलग होते हैं।

समस्याएँ—

लोकतांत्रिक देशों में अन्य देशों की तुलना में अधिक खुलापन पाया जाता है। फिर भी सरकारी कार्य पद्धतियों में पूरी तरह खुलापन नहीं बरता जाता है, जहाँ तक उचित व्यवहारिक होता है, लोगों की आवश्यक माँगों के समाधान का प्रयास किया जाता है। इस अधिनियम से क्रांतिकारी बदलाव आया है और भ्रष्टाचार को नकेल लगाने वाले इस अधिनियम से जनता का सशक्तिकरण हुआ है इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस अधिनियम के लागू होने से अब तक इसके प्रति जागरूकता बढ़ी है और इसके व्यवहारिक क्रियान्वन में अनेक समस्याओं, चुनौतियाँ सामने आ रही है।

इस अधिनियम में आवेदकों द्वारा जन सूचना अधिकारी से व्यक्तिगत द्वेष या पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर प्रश्न पूछे जाते है उसे प्रत्यक्ष रूप से परेशान करने के लिए भी आवेदन लगाये जाते है। ब्लैकमेलिंग या पैसा उगाही के लिए या जिनके प्रति दुर्भावना है उन्हें नुकसान पहुँचाने के लिए भी जनहित की आड़ में अपने हितों की पूर्ति के लिए आवेदक द्वारा ऐसे आवेदन लगाये जाते हैं। वहीं ग्रामीण स्तर पर जन प्रतिनिधियों में इस अधिनियम के प्रति जागरूकता का अभाव रहता है इसके क्रियान्वयन में रूचि नहीं लेते इनमें राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव पाया जाता है।

इस अधिनियम की प्रगति बहुत धीमी है, विभिन्न सरकारी कार्यालयों या जिन संस्थाओं में यह अधिनियम लागू होते है वहाँ आवेदनों के शीघ्र निराकरण में रूचि नहीं लेते दूसरी ओर यदि आवेदक सक्रियता और रूचि न लेते इसके शीघ्र परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। स्थानीय स्तरों पर सूचना का अधिकार अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए इस अधिनियम से संबंधित किसी भी मुख्य कार्यालय की स्थापना नहीं की गई है इस कारण से भी सूचना प्राप्त करने वाला आवेदक इधर—उधर उलझ कर रह जाता है तथा सूचना कार्यालय का पता नहीं लग पाता है।

चुनौतियाँ—

गोपनीयता को लोक प्राधिकारियों द्वारा अपने—अपने स्तर पर अलग—अलग ढंग से परिभाषित कर सूचना देने में अड़चन पैदा की जाती है। इस

Seth R.C.S. ... Commerce ... DURG Chhattisgarh
Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm. College
DURG (C.G.)

ISSN: 2394 5303 | Impact Factor 5.011(IIJIF) | Printing Area® International Research journal | April 2018 Issue-44, Vol-03 | 0147

अधिनियम में अनावश्यक जानकारी माँगकर कार्यालय का बोझ बढ़ाया जाता है। साथ ही इसमें कानून के दुरूपयोग की आशंका व सुशासन की क्षमता दोनों है। सूचना के अधिकार अधिनियम के सैद्धांतिक नियमों का जब व्यवहारिक प्रयोग किया जाता है तो नये तथ्यों का उद्भव हो जाता है। सूचना का अधिकार जिन प्राधिकारियों में लागू होता हैं उनको पहले से ही अपने कार्यालय के सूचनाओं का प्रकटीकरण किया गया है, जिसका उल्लेख अधिनियम की धारा (४) में किया जाना है।

इस अधिनियम का निचले स्तर पर प्रयोग कारगर सिद्ध हुआ है। ग्राम पंचायतों के अधिकारों व मदों के गलत प्रयोग की परम्परा बन गई है उस पर कुछ–कुछ नियंत्रण होने लगा है। वही दूसरी ओर इसमें किसी व्यक्ति विद्वेश से इसका उपयोग किया जाना चिन्ता का विषय है इससे स्थानीय वातावरण प्रभावित होता है। सूचना के अधिकार अधिनियम में आवेदकों को जानकारी मँगाने पर ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, कानून हमें सूचना का अधिकार देता है, परन्तु अधिकारी प्रश्नों का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है।

निराकरण–

इस अधिनियम की उपयोगिता तथा इसके प्रयोग से होने वाले लाभों का व्यापक स्तर पर प्रचार–प्रसार होना चाहिए। इस कानून का यदि पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, वकील, छात्र, जनप्रतिनिधि सचिव, शिक्षक शासकीय कर्मचारी जैसे विद्वान लोग इसका सही व सक्रियता से उपयोग करें तो यह कानून और सफल होगा। साथ ही इनसे जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों व कार्यकर्ताओं जन प्रतिनिधियों एवं इससे जुड़े स्वयं सेवी संगठनों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला, सेमीनार, विचारगोष्ठी, परिचर्चा आदि का आयोजन सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर किये जाते रहना चाहिए।

सूचना के अधिकार का प्रयोग करने की वास्तविक जिम्मेदारी पढ़े–लिखे नागरिकों की है वे लोग जो सरकारी काम–काज की कार्यशैली को अच्छी तरह समझते है, वे यदि कोई मूल्यवान जानकारी लाते हैं तो उसके माध्यम से सरकारी कार्यशैली को बदलने पर मजबूर किया जा सकता है।

सरकार के तीनों अंग विधायिका कार्यपालिका व न्यायपालिका को इस अधिनियम के अंर्तगत सूचना देने के दायरें में रखा गया है जब तक ये अपने आपको इस अधिनियम से बाहर बताएगें तब तक यह कानून व्यवहारिकता का रूप धारण नहीं कर सकता तथा यह भ्रष्टाचार समाप्त करना व पारदर्शिता लाना छलावा मात्र होगा।

उत्तरदाताओं के अभिमत का विष्लेशण।

१. क्या आप सूचना के अधिकार अधिनियम को निष्पक्षता व पारदर्शिता के लिए उचित समझते हैं।

क्र.	अभिमत	आवृत्ति	प्रतिशत
१.	हाँ	२७०	९०
२.	नहीं	७	२.३३
३.	कह नहीं सकते	२३	७.६७
४.	प्रश्न समझ में नहीं आया		
	योग	३००	१००

१. क्या आप सूचना के अधिकार अधिनियम को निष्पक्षता व पारदर्शिता के लिए उचित समझते हैं। में नहीं आया

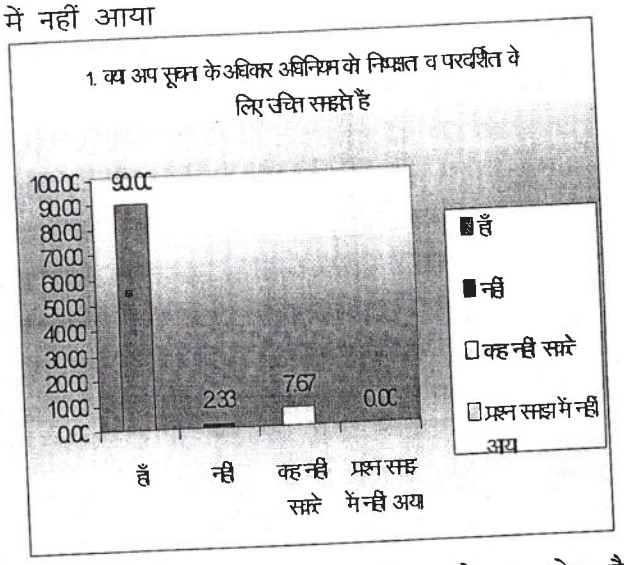

उपरोक्त सारणी के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि चयनित उत्तरदाताओं में ९० प्रतिशत उत्तरदाता का मत है कि सूचना का अधिकार अधिनियम को निष्पक्षता व पारदर्शिता के लिए उचित समझते है, जबकि २.३३ प्रतिशत उत्तरदाता इस अधिनियम को निष्पक्षता व पारदर्शिता के लिए उचित नहीं समझते है वही ७.६७ प्रतिशत उत्तरदाता ने स्पष्ट मत व्यक्त नहीं किया।

Seth R.C.S. Arts & Commerc DURG Chhattisgarh
Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm

में पारदर्शिता और निष्पक्षता आयी है, क्योंकि यह अधिनियम व्यक्ति को कुछ विशेष विषय को छोड़कर सभी विषयों में सूचना प्राप्त करने की छूट देता है।

२. क्या यह अधिनियम भ्रष्टाचार व लालफीताशाही को समाप्त करने में कारगर हथियार के रूप में कार्य कर रहा है।

क्र.	अभिमत	आवृत्ति	प्रतिशत
१.	हाँ	२६८	८९.३४
२.	नहीं	१०	३.३३
३.	कह नहीं सकते	२२	७.३३
४	प्रश्न समझ में नहीं आया		
	योग	३००	१००

२. क्या यह अधिनियम भ्रष्टाचार व लालफीताशाही को समाप्त करने में कारगर हथियार के रूप में कार्य कर रहा है।

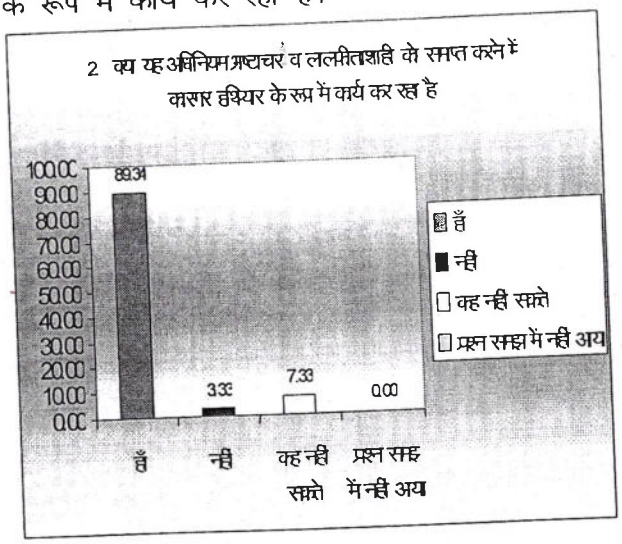

उपरोक्त सारणी के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि अध्ययन के लिए चयनित उत्तरदाताओं में ८९.३४ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि यह अधिनियम भ्रष्ट्राचार व लालफीताशाही को समाप्त करने में कारगर हथियार के रूप में कार्य कर रहा है, जबकि ३.३३ प्रतिशत उत्तरदाता ने माना की यह अधिनियम लालफीताशाही व भ्रष्टाचार को समाप्त करने में कारगर हथियार नहीं है, व ७.३३ प्रतिशत उत्तरदाता ने तटस्थता बनाते हुए जवाब नहीं दिया।

वास्तविक रूप से सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ के लागू होने से शासकीय कार्यों में भ्रष्टाचार व लालफीताशाही रवैया में सुधार हुआ है और यह भ्रष्टाचार और लालफीताशाही को अपने पारदर्शिता के प्रभाव से समाप्त करने में बहुत हद तक सफल होता नजर आ रहा है।

३. क्या इस अधिनियम के लागू होने के बाद मनचाही नौकरशाही क्रिया प्रणाली को नियंत्रित किया है।

क्र.	अभिमत	आवश्त्ति	प्रतिशत
१.	हाँ	२४२	८०.६७
२.	नहीं	२६	८.६६
३.	कह नहीं सकते	३२	१०.६७
४.	प्रश्न समझ में नहीं आया		
	योग	३००	१००

३. क्या इस अधिनियम के लागू होने के बाद मनचाही नौकरशाही क्रिया प्रणाली को नियंत्रित किया है।

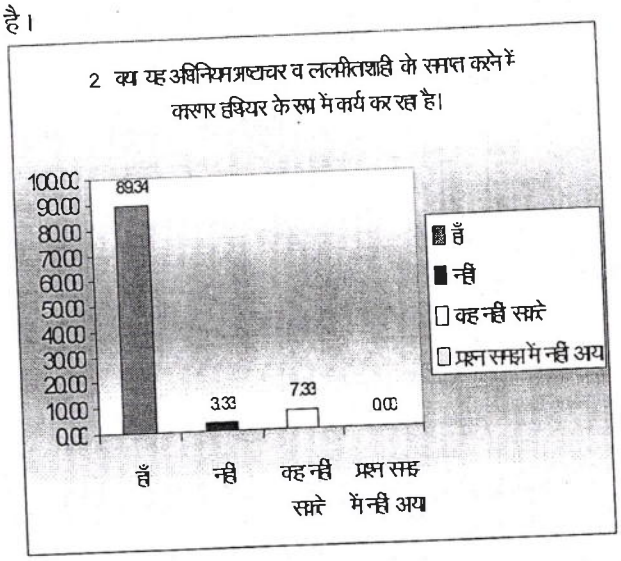

उपरोक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित उत्तरदाताओं में ८०.६७ प्रतिशत उत्तरदाता ने माना कि इस अधिनियम के लागू होने के बाद मनचाही नौकरशाही क्रिया प्रणाली को नियंत्रित किया है, व ८.६६ प्रतिशत उत्तरदाता ने माना कि यह अधिनियम नौकरशाही क्रियाप्रणाली को नियंत्रित नहीं किया है, जबकि १०.६७ प्रतिशत उत्तरदाता ने तटस्थता बनाये रखा।

निष्कर्ष—

वास्तव में सूचना का अधिकार अधिनियम के व्यवहारिक क्रियान्वयन में अनेक समस्याओं, चुनौतियों

Seth R.C.S. Arts & Comm. College DURG Chhattisgarh
Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm
College Durg (C.G.)

का सामना करना पड़ रहा है तो इसके व्यवहारिक क्रियान्वयन में इन समस्याओं व चुनौतियों को समाप्त कर इसे निराकृत करने की भी क्षमता इसमें विद्यमान है। यदि इसका कुशलतापूर्वक व विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग किया जाए तो इससे व्यवस्था में सुधारात्मक बदलाव आयेगा।

संदर्भ सूची

१ बर्थवाल सी.पी.: जानिये सूचना का अधिकार, भारत बुक सेंटर, लखनऊ २००९. ६६

२ मो. इरशाद एवं अहमद अखलाख सूचना का अधिकार जनता का हथियार राजभाषा पुस्तक प्रतिष्ठान, नई दिल्ली २०११,पृ. ७

३ अवस्थी स.के. सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५ और मानवाधिकार एवं भ्रष्टाचार, हरी लॉ एजेन्सी लखनऊ २०१३,पृ. ५६

४ जैन सुरेश व जैन निमित सूचना का अधिकार तुलसी साहित्य पब्लिकेशन्स मेरठ २०१२ पृ. १३१.

५ जैन पी.के.सूचना का अधिकार धीरज पाकेट बुक्स मेरठ २०११ पृ. १६२.

६ मुण्डे श्री राम, सूचना का अधिकार, वाणी प्रकाशन दरियागंज, नई दिल्ली २०१२ पृ. ६.

७ यादव डॉ. अभय सिंह, सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५ सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन इलाहाबाद २०१० पृ. ५.

❑❑❑

35

महिला सशक्तिकरण रूदिशा एवं दशा

डॉ. शैलेन्द्र कुमार शर्मा
अतिथि शिक्षक,
राजनिति विज्ञानविभाग
संतकोलम्बा महाविद्यालय, हजारीबाग
विनोबा भावे विश्वविद्यालय,
हजारीबाग, झारखण्ड।

सारांश

''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता'' की भावना रखने वाली भारतीय संस्कृति नारीतत्व के प्रति सद्भाव एवं सम्मान को अक्षुण्ण भावना रही है, यहाँ राम से पहले सीता, कृष्ण से पहले राधा, नारायण से पहले लक्ष्मी कह कर नारी को मान दिया जाता है, जिस संस्कृति में नारी का शक्तिस्वरूपा कहा गया है समय की बदलती करवट एवं विगत वर्षो की घटनाएं इस बात की साक्षी रही हैं कि हर क्षेत्र में महत्व, प्रतिष्ठा व स्माान पाने वाली महिलाओं को देश में अत्याचार के कठोर वज्राघात सहने को विवश होना पड़ रहा है, ये कैसी विडम्बना है कि स्त्री को सम्मान खोजना पड़ रहा है, शक्तिस्वरूपा, नारी क्या आज इतनी असहाय, अशक्त, निर्बल होती जा रही है कि वह इसे पुरुष प्रधान समाज में अत्मरक्षा भी नहीं कर पा रही है, एक विडम्बना है।

विशिष्ट शब्द– नारीतत्व, शक्तिस्वरूपा, असहाय, सम्मान।

भूमिका–

भारत में भी स्वतन्त्रता आन्दोलन में कई महिलाओं का विशेष योगदान रहा है, इनमें महारानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, सुचेता कश्पलानी, कस्तूरबा गांधी कमला नेहरू, ललित शास्त्री आदि के नाम

Seth R.C.S. Arts & Comm. Coll. DURG Chhattisgarh
Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm.
College Durg (C.G.)